न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, शिवहर
उपस्थित– श्री महेश कुमार
सत्रवाद संख्या– 71/2013
सरकार बनाम श्यामनारायण सिंह व अन्य

FORM-A

IN THE COURT OF ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-1
Present:- Sri Mahesh Kumar

(Date of Judgment:- 04.06.2026)

Sessions Trial-71 /2013 ,
CNR No.- BRSO01-000079-2013

Complain Case No. -C1 101/2012

Offence:- U/s 308, 326 & 374 of I.P.C

COMPLAINANT	संतोष कुमार, पिता– दीपलाल महतो निवासी ग्राम– कोराखरगि, थाना–परसौनी, जिला–सीतामढ़ी
REPRESENTED BY	विद्वान अपर लोक अभियोजक, श्री सुरेश राय
ACCUSED	1. श्यामनारायण सिंह, पिता–स्व0 वशिष्ठ सिंह, उम्र–75 वर्ष 2. रूपसागर देवी, पिता– श्यामनारायण सिंह, उम्र– 69 वर्ष
REPRESENTED BY ACCUSED PERSONS	विद्वान अधिवक्ता, श्री अमलेश कुमार 'अंजनी'

FORM-B

Date of offence	20.02.2012
Date of F.I.R.	NA
Date of Chargesheet	NA
Date of Framing Charges	21.05.2013
Date of Commencement of Evidence	28.06.2013
Date of which judgment is reserved	03.06.2026
Date of judgment	04.06.2026
Date of the Sentencing order, if any	N.A.
Date of Amalgamate to Record	N.A.

Accused Details

Rank of the Accused	Name of Accused	Date of Arrest	Date of Release on Bail	Offence Charged with	Whether Acquitted or convicted	Sentence imposed	Period of Detention during Trial for purpose of section 428 of Cr.P.C.
01.	श्यामनारायण सिंह	26.02.2013	26.02.2013	भा0द0वि0 की धारा– 308, 326 एवं 374	Acquitted		
02.	रूपसागर देवी	26.02.2013	26.02.2013				

04.06.26

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, शिवहर
सत्यमेव जयते

FORM-C
LIST OF PROSECUTION/DEFENSE/COURT WITNESS
A. Prosecution :

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)

न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, शिवहर
उपस्थित– श्री महेश कुमार
सत्रवाद संख्या– 71/2013
सरकार बनाम श्यामनारायण सिंह व अन्य

01.	राजू कुमार	अभियोजन साक्षी संख्या 01
02.	संतोष कुमार	अभियोजन साक्षी संख्या 02
03.	तेतरी देवी	अभियोजन साक्षी संख्या 03
04.	जयराम कुमार	अभियोजन साक्षी संख्या 04
05.	दीपलाल महतो	अभियोजन साक्षी संख्या 05
06.	जयप्रकाश मौर्य	अभियोजन साक्षी संख्या 06

B. Defence Witness, if any ; -

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)

C. Court Witness, if any ;-NIL

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURTS EXHIBITS

A. PROSECUTION;-

SR. NO.	EXHIBIT NUMBER	DESCRIPTION
1.		

B. DEFENCE

SR. NO.	EXHIBIT NUMBER	DESCRIPTION
1	प्रदर्श–1	प्रखंड विकास पदाधिकारी, परसौनी का जॉच प्रतिवेदन

04.06.26

C. COURT EXHIBITS ; NIL

SR. NO.	EXHIBIT NUMBER	DESCRIPTION

D. MATERIAL OBJECTS ;

SR. NO.	MATERIAL OBJECT NUMBER	DESCRIPTION

न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, शिवहर
उपस्थित– श्री महेश कुमार
सत्रवाद संख्या– 71/2013
सरकार बनाम श्यामनारायण सिंह व अन्य

निर्णय

1. उपरोक्त नॉमित अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा– 308, 326 एवं 374 के अंतर्गत वाद का विचारण किया गया।

2. सूचक संतोष कुमार के परिवाद पत्र के अनुसार मामला संक्षेप में यह है कि " परिवादी जनता हाईस्कूल परसौनी का नियमित छात्र था और वह माध्यमिक परीक्षा का इस वर्ष परीक्षार्थी था पूर्व में प्रार्थी के गांव में एवं आसपास के गॉव में श्यामनारायण सिंह ने अपने यहॉ रखकर भोजन बनाने की सुविधा देकर स्कूल के साथ कोचिंग करने के लिए विद्यार्थियों को अपने कोचिंग में प्रवेश का प्रलोभन दिया इस क्रम में प्रार्थी के गांव के कई लड़के आवासीय विवके मेमोरियल एकेडमी के नाम में चल रहे कोचिंग संस्थान में प्रवेश लिया। वहां रहने और पढ़ाई के लिए रू0 600/– रूपया मासिक श्यामनारायण सिंह प्रत्येक विद्यार्थी से लेता था विद्यार्थीगण वहॉ रखकर अपना–अपना भोजन स्वयं बनाते थे और साईकिल से विद्यालय करते थे और अभियुक्तगण के कोचिंग में पढ़ते थे और अभियुक्तगण के कहे अनुसार उनके घर का कोई–कोई काम करते थे इस बीच प्रार्थी परिवादी के साथ–साथ अन्य बच्चे को मैट्रिक फीस परीक्षा देना था इस क्रम में विद्यार्थियों में अभियुक्तों से कहा कि परीक्षा के बाद घर बनाईएगा इस पर श्यामनारायण सिंह ने कहा कि परीक्षा के बाद सब चला जाएगा इसलिए परीक्षा से पहले इसे तैयार करना है। अभियुक्तगण का मकान बना इस क्रम में उन्होंने एक मिस्त्री के साथ मजदूर को मशाला तैयार करने के लिए रखा एवं शेष कार्य जैसे पानी ढोने, ईटा गिला करने तथा तैयार मशाला को ढोने का काम अभियुक्तगण प्रार्थी परिवादी एवं वहां रहने वाले अन्य विद्यार्थियों के इच्छा के विरूद्ध विधि विरूद्ध तौर पर विवश करके करवाते थे तथा रूपसागर देवी इसके लिए मुश्तैद रहती थी इस क्रम में प्रार्थी परिवादी एवं अन्य विद्यार्थियों को अभियुक्तगण विद्यालय न जाने के लिए मजबूर करते थे। ऐसे ही काम कराते–कराते अभियुक्तण के मकान तैयार हो गया और छत की ढलाई भी हो गया। घ टना तिथि के दिन मिस्त्री ने आकर छत के चारों तरफ दो–दो ईटा लगाकर मिट्टी के घेरा कर दिया और मिस्त्री ने अभियुक्तगण से कहा कि आप पानी लिजिए इस पर रूपसागर देवी ने प्रार्थी से कहा कि तुम ऊपर जाओ यहॉ से लोग पानी भरकर देगा और तब तुम छत पर पटाना। प्रार्थी ने इसके लिए आनाकानी की इसपर रूपसागर देवी ने प्रार्थी को डांटा और छत पर चढ़ने के लिए मजबूर कर दिया तथा श्यामनारायण सिंह ने छत से लगाकर सीढ़ी को खड़ा कर दिया और दोनों अभियुक्त ने फिर मिलकर प्रार्थी परिवादी कयो बाल्टी लेकर सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर जाने को कहा तब प्रार्थी सीढ़ी पर चढ़कर ही दो मंजिले पर गया कि अभियुक्तगण के छत से गुजरने वाले बिजली के तार ने प्रार्थी को अपनी ओर खींचा कि यह देख साक्षी राजीव कुमार ने सेन्टींग के तख्ता को

लेकर तार पर मारा कि प्रार्थी का दोनों हाथ तार से छूटा और प्रार्थी पहली मंजिल पर जाकर गिरा प्रार्थी के दोनों हाथ के बहुत सा मांस तार में लग गया और दोनों हाथ जल गया अगर साक्षी राजीव कुमार तख्ती से बिजली के तार पर नहीं मारा होता हो प्रार्थी की मृत्यु वहीं हो जानती यह देख दोनों अभियुक्त वहां से भाग गए। तब कोचिंग के विद्यार्थीगण प्रार्थी परिवादी को टेम्पू पर लादकर सदर अस्पतॉल सीतामढ़ी सदर अस्पतॉल लाया गया और मोबाईल से प्रार्थी के घरवालों को खबर किया। सीतामढ़ी सदर अस्पतॉल से अभियुक्तगण एवं उनके पैरवीकार ने प्रार्थी की मां को तरह–तरह के आश्वासन दिया और प्रार्थी की मॉ से सादे कागज पर निशान करा लिया। तब प्रार्थी को सीतामढ़ी सदर अस्पतॉल से उसी दिन पटना मेडिकल कॉलजे अस्पतॉल भेज दिया गया वहॉ प्रार्थी का इलाज चला तथा इलाज के क्रम में प्रार्थी का दोनों बॉह जो जलकर नष्ट हो गयाथा उसको काटकर हटा दिया गया इस बीच प्रार्थी सब कुछ ठीक हुआ तो अपने घर आया तो ज्ञात हुआ कि अभियुक्तों ने सीतामढ़ी थाना में प्रार्थी की मां का निशान लेकर मनमाने ढंग से अपने बचाव में बयान लिखवा लिया और दबाब बनाने के लिए अपने पंचायत के मेली सरपंच के समक्ष एक परिवाद प्रस्तुत कर दिया। इस प्रकार अभियुक्तों ने प्रार्थी एवं विद्यार्थियों के विरूद्ध विधि विरूद्ध अनिवार्य श्रम करवाया और दोनों अभियुक्तों ने मिलकर इस ज्ञान के साथ प्रार्थी को उसने नव निर्मित मकान के दो मंजिले छत पर हरे बॉस की सीढ़ी पर चढ़ने को विवश किया जिस छत से थोड़ी ही दूरी पर 11000 वोल्ट का बिजली के तार गुजरता है वहां निश्चित रूप से सम्भाव्य था कि पानी ढोने या उतरने चढ़ने के क्रम में उपहति हो सकती थी एतद् द्वारा प्रार्थी को और उपहति कारित हुई और प्रार्थी का दोनों हाथ बेकार हो गया। यदि साक्षी राजीव कुमार ने सूखे तख्ती से बिजली के तार पर प्रहार न किया होता जो परिस्थिति थी उसमें प्रार्थी की मृत्यु कारित हो जाती। इस प्रकार अभियुक्तों ने अपने ज्ञान एवं आशय से मानववध करने का प्रयास किया। प्रार्थी के माता–पिता ने गहना बेच कर जमीन रखकर रिश्तेदारों से उधार ले का तथा लोगों से चन्दा लेकर लगभग एक लाख रूपया खर्चकर दिया तथा प्रार्थी का दोनों हाथ निशक्त हो गया तथा पुलिस द्वारा कोई कारवाई न करने की स्थिति में प्रार्थी परिवादी आज यह परिवार पत्र प्रस्तुत कर रहा है। इस प्रकार परिवाद पत्र दायर किया गया। "

04.06.26

3. प्रस्तुत मामले में निम्न न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 18.04.2013 के द्वारा वाद को दौरा सुपुर्द करते हुए को सत्र न्यायालय में विचारण हेतु प्राप्त हुआ।

4. उपरोक्त नामित अभियुक्तगण श्यामनारायण सिंह एवं रूपसागर देवी के विरूद्ध दिनांक 21.05.2013 को भा0द0वि0 की धारा– 308, 326 एवं 374 के अंतर्गत आरोपों का गठन कर उसे हिन्दी में पढ़कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तों ने

लगाये गये आरोपों से इंकार किया तथा वाद विचारण का दावा किये।

5. उपरोक्त अभियुक्तगण का धारा–313 द्र0प्र0स0 के अंतर्गत बयान दिनांक 27.06.2023 को अंकित किया गया। जिसमें अभियुक्तगण ने स्वंय को निर्दोष बताया। बचाव पक्ष की ओर से प्रखंड विकास पदाधिकरी, परसौनी का जॉच प्रतिवेदन को प्रदर्श–1 अंकित कराया गया। तत्पश्चात् आदेश दिनांक 19.06.2025 से सफाई साक्ष्य बंद कर अभिलेख को बहस के स्तर पर निश्चित किया गया।

6. अब न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि ''क्या अभियोजन पक्ष अपने वाद को अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित कर पाने में सफल रहा है?''

मन्तव्य

7. अभियोजन की ओर से अपने वाद के समर्थन में कुल छः (06) साक्षियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो निम्न प्रकार हैः–

01.	अभियोजन साक्षी संख्या 01	राजू कुमार
02.	अभियोजन साक्षी संख्या 02	संतोष कुमार
03.	अभियोजन साक्षी संख्या 03	तेतरी देवी
04.	अभियोजन साक्षी संख्या 04	जयराम कुमार
05.	अभियोजन साक्षी संख्या 05	दीपलाल महतो
06.	अभियोजन साक्षी संख्या 06	जयप्रकाश मौर्य

8. **अभियोजन साक्षी संख्या – 01 राजू कुमार** ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि '' घटना करीब 2 वर्ष पूर्व की है। उस समय मैं एवं संतोष कुमार एवं अन्य विद्यार्थी जो जनता हाईस्कूल परसौनी के नियमित छात्र थे तथा विवेक मेमोरियल आवासीय कोचिंग इंस्टीच्यूट धनकौल चौक के होस्टल में रहकर पढ़ते थे तथा प्रतिमाह छः सौ रूपया शुल्क लगता था। उस कोचिंग को श्यामनारायण सिंह चलाते थे। मैं होस्टल से ही नियमित स्कूल में जाकर क्लॉस करता था। कोचिंग में मैं स्वयं खाना बनाता खाता था। लेकिन हरने का तथा पढ़ने का शुल्क देता था तथा श्री श्याम नारायण सिंह के कहने पर उनके घर का कपड़ा धोता था, खाना बनाता था तथा उनके घर निर्माण से अन्य बच्चों के साथ मैं भी काम करता था। हमलोग ईटा पहुँचाते थे तथा पानी पहुँचाते थे। हमलोग के बात करते समय श्यामनारायण सिंह एवं उनकी पत्नी रूपसागर देवी हमेशा उपस्थित रहती थी। घटना दिनांक 20 फरवरी 2012 को 11:30 बजे दिन की है। श्यामनारायण सिंह ने उस समय हमलोगों को कहा कि उनके दो मंजिला घर के छत में जो नया–नया तैयार हुआ था पर पानी पटाने के लिए बोले। हमलोगों ने वह काम करने से मना किया क्योंकि उनके घर के बगल में 11000/– वोल्ट का बिजली का तार लगा

04.06.26
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर
सत्यमेव जयते

हुआ था जो खूला था तथा बिजली प्रवाहित होती थी। श्यामनारायण सिंह एवं उनकी पत्नी रूपसागर देवी ने हमलोगों को डॉटा और पानी ढोने के लिए मजबूर किया। हमलोग बॉल्टी से नीचे से पानी ऊपर दे रहे थे तथा संतोष बॉस के सीढ़ी द्वारा पानी उनके घर के छत पर लेकर चढ़ रहा था। संतोष जब बॉल्टी में पानी भरकर बॉस के सीढ़ी से छत पर चढ़ रहा था तो श्यामनारायण सिंह के घर के बगल स्थित 11000/– वोल्ट के तार में प्रवाहित विद्युत करेंट द्वारा उन्हें खींच लिया गया तब छत के ऊपर खड़े एक मजदूर ने बॉस से बिजली के तार में मारा तो संतोष को तार ने छोड़ दिया तब वह तार से गिर कर पहली मंजिल पर गिरा। इसके पश्चात् श्यामनारायण सिंह एवं रूपसागर देवी वहाँ से भाग गई। तब हमलोग भाई का टेम्पू करके संतोष को इलाज के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पतॉल ले गये तथा उसके घरवालों को सूचना दिए तब उसकी मॉ एवं घर वाले वहाँ आए। इस दौरान संतोष के स्थिति को देखकर उसकी मॉ बेहोशी की स्थिति में आ गई थी उसी दौरान श्याम नारायण सिंह ने प्रलोभन देकर सादा कागज पर उनका हाथ के अंगूठे का निशान ले लिया। संतोष को बेहतर इलाज के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पतॉल में पटना पी.एम.सी.एच. रेफर कर दिया गया जहाँ इलाज के दौरान संतोष का दोनों हाथ बिजली के करंट लगने के कारण हाथ खराब हो जाने कारण काट दिया गया। मैं श्यामनारायण सिंह एवं उनकी पत्नी रूपसागर देवी को पहचान सकता हूँ। जो आज न्यायालय में उपस्थित नहीं है। यदि वे दोनों होते तो मै। पहचान लेता। "

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि " संतोष साह मेरे रिश्ता में कुछ नहीं लगता है। ग्रामीण एवं मेरे वर्ग साथी होने के कारण मेरा दोस्त है। मेरे गॉव से धनकौल दो ढाई किलोमीटर उत्तर है। मेरे गॉव के बहुत लोग धनकौल में दुकान दिए है जो प्रतिदिन आते–जाते है। मेरे गॉव के लोग धनकौल सब्जी खरीदने भी आते–जाते है। "

इस साक्षी ने आगे अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि " विवेक मेमोरियल में किस तारीख से किस तारीख तक पढ़ा नहीं बता सकता। परीक्षा की तारीख 22.02.2012 से थी। विवेक मेमोरियल में रहने की रसीद नहीं मिलती थी तथा बीस छात्र छात्रावास में रहते थे तथा गॉव के संतोष वगैरह थे तथा अन्य गॉव के बच्चों का नाम नहीं बता सकता। प्रवेश पत्र 20 तारीख को लिए थे। पुनः कहते है कि 20 या 21 तारीख में प्रवेश पत्र लिया था। संतोष किस तारीख को प्रवेशपत्र लिया नहीं बता सकता। साईकिल से विवेक मेमोरियल से स्कूल जाता था तथा कभी–कभी घर भी जाता था। मेरे परिवार के लोग भी मिलने आते थे। मैं या मेरे साथ के लोगों ने अपने परिवार वालों से मजदूरी करके तथा गलत काम करने की जानकारी देते थे तथा परिवार वाले

04.06.26.

से मजदूरी करने तथा गलत काम करने की जानकारी देते थे तथा परिवार वाले भी काम करते हुए देखते थे उसके बावजूद परिवार वाले नहीं निकाले क्योंकि ठीक दो दिन बाद परीक्षा थी।''

इस साक्षी ने आगे अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि '' फरवरी में मकान बनना शुरू हुआ तथा अठारह फरवरी से शुरू हुआ। मैं वर्ष 2012 से पहले से छात्रावास में रहता था तथा एक साल रहा तथा उस दौरान काम कराने के बावजूद हॉस्टल छोड़कर नहीं गया। मैट्रिक का परीक्षा हेतु सीतामढ़ी में तथा सीतामढ़ी में रहकर परीक्षा दिया था। 22 को परीक्षा देने गया था। विवेक मेमोरियल के मकान में अभियुक्त श्यामनारायण रहते है तथा उनके परिवार में पॉच–छः सदस्य है सभी का नाम नहीं बता सकता हूँ। वह घर नीचे के चार कमरा था तथा पहले मंजिल पर सीढ़ी उत्तर–पश्चिम की तरफ से था तथा दूसरे मंजिल भी सीढ़ी तैयार नहीं थी, उत्तर दक्षिण मुख्य सड़क है। श्यामनारायण के मकान व मुख्य सड़क के पश्चिमी भाग से बिजली का तार गया है। प्रथम मंजिल का छः फीट छोड़ा हुआ है। उस खाली छत से सीढ़ी पूरब तरफ दीवाल में थी। ''

इस साक्षी ने आगे अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि '' संतोष बॉल्टी से पानी ले जा रहा था। दूसरे हाथ में सीढ़ी पकड़े था तथा संतोष का मुँह वाला भाग पूरब तरफ था तथा सड़क पश्चिम है। छत पर गिरने से संतोष के शरीर में टूट–फाट नहीं हुआ। जबरदस्ती काम करवाने की सूचना किसी पुलिस पदाधिकारी को नहीं दिया तथा शिक्षा पदाधिकारी को नहीं दिया संतोष मेरे ग्रामीण व मेरे जाति का है तथा गॉव के रिश्ता में भाई लगता है। ''

इस साक्षी ने आगे अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि '' मुकेश कुमार मेरा गॉव का है तथा चाचा का लड़का है। जयप्रकाश मौर्य मेरे बहनोई है। वर्तमान में सर्वेयर का काम करता हूँ। मेरा बयान मजिस्ट्रेट के यहॉ नहीं हुआ था।''

04.06.26

इस साक्षी ने आगे अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि '' ऐसी बात नहीं है कि न तो किसी विवेक मेमोयिरल में पढ़ाई किया और न रहा, ऐसी बात नहीं है कि संतोष के भाई होने के कारण झूठी गवाही दिया हूँ।

9. **अभियोजन साक्षी संख्या – 02 संतोष कुमार जो इस वाद के सूचक है** ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि '' घटना तीन वर्ष पहले साढ़े ग्यारह बजे दिन की है। मैं आवासीय विवेक मेमोरियल एकेडेमी धनकौल में रहता था तथा कोचिंग पढ़ता था तथा साथ में राजू, जयराम, मुकेश व अन्य विद्यार्थी रहते थे। मैं जनता हाईस्कूल परसौनी का नियमित छात्र था। विवेक मेमोरियाल में छः सौ रूपया प्रतिमाह रहने व पढ़ने का श्यामनारायण सिंह को देता था तथा खाना स्वयं बनाकर खाते थे तथा विद्यालय वहीं से

जाता था विवके मेमोरियाल कोचिंग श्यामनारायण चलाते थे तथा श्यामनाराण सिंह खाना बनावते थे, कपड़ा धुलवाते थे तथा मकान का भी काम करवाते थे। मकान दो मंजिला ढला चुका था तथा घटना के दिन साढ़े ग्यारह बजे श्यामनरायण बोले की छत परपानी पटाओं तो हमलोग बोले कि बिजली का तार ग्यारह हाजर वोल्टेज का छत के ऊपर है हम नहीं जाऐंगें तो श्यामनारायण व उनकी पत्नी हमको, राजू, जयराम, मुकेश को डॉटा तथा बॉस की सीढ़ से पानी ढो रहा था तथा ग्याहर हजार वोल्ट का तार हमको खींच लिया तथा दूसरा आदमी सेन्टरिंग के लकड़ी से तार पर मारा तो हटकर मैं पहली मंजिल पर गिरकर बेहोश हो गया। पता चला कि दोनों भाग गये तथा हमको सीतामढ़ी अस्पतॉल ले जाया गया जहॉ से पी.एम.सी.एच. रेफर किया गया जहॉ ईलाज हुआ तथा मेरा दोनों हाथ काटना पड़ा तथा दाहिना हाथ केहुनी के नीचे में तथा बॉया हाथ केहुनी के ऊपर से काटना पड़ा जिसमें स्थायी रूप से अपंग हो गया है। साक्ष्जी अपना दानों कटा हुआ हाथ दिखाता है। मुखिया के पंचायती की बात किया लेकिन कुछ नहीं होने पर परिवाद पत्र दाखिल किया तथा दोनों मुदालह को पहचानता हूँ।

इस साक्षी ने आगे अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि " ईलाज से लौटा तो श्यामनारायण से क्षतिपूर्ति मांगा था लेकिन वे हमलोगों से बात नहीं करते थे तथा क्षतिपूर्ति नहीं दिये तो केस किया। दस लाख रूपया क्षतिपूर्ति का मांग किया था। समाहर्ता सीतामढ़ी को आवेदन दिया था जिसमें क्षतिपूर्ति के रूप में दस लाख रूपया दिलाने का आवेदन दिया था तथा उसमें गलत रिपोर्ट किया कि दुर्घटना में हाथ कट गया। समाहर्ता ने बिजली विभाग को भेजा लेकिन बिजली विभाग कुछ नहीं किया।
घटना से एक साल पहले से विवेक मेमोरियल में रह रहा था तथा मार्च–अप्रैल 2011 में गया था। विवेक मेमोरियल की रसीद दाखिल कर सकता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि विवेक मेमोरियल नाम की कोई संस्था नहीं थी। "

इस साक्षी ने आगे अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि " मैं अपना खाना बनाता था। मैं गया तो मकान बनना शुरू हुआ तथा नियमित मजदूरी करता था तथा आठ बजे से दस बजे तक कोचिंग चलता तथा दस बजे से तीन बजे काम करता था तथा इच्छा के विरूद्ध काम मुदालह करवाते थे। हमलोग विरोध करते थे।"

04.06.26.

इस साक्षी ने आगे अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि " छात्रावास में रहकर परसौनी जनता स्कूल में क्लास करने जाता था। जिसकी दूरी तीन किलोमीटर है। मेरे साथ अन्य विद्यार्थी भी जाते थे। मेरा घर धनकौल बाजार से दो किलोमीटर है। छात्रावास से घर दो बार साल भर में गया था। घर जाने की तारीख नहीं बता सकता हूँ। मेरे माता, पिता छात्रावास में मिलने आते थे। माता–पिता को नहीं बताया की मजदूरी कराया जाता है क्योंकि स्कूल से नहीं बताने का दबाव दिया जाता था। मै अपने घर

गया था तो श्यामनारयाण मेरे साथ नहीं गये थे। मैनें अपने माता–पिता को मजदूरी के बारे में नहीं बताया था। छात्रावास से स्कूल जाने के क्रम में कभी भागा नहीं। परसौनी में थाना है। थाने में मैनें या किसी अन्य विद्यार्थी ने जबरदस्ती मजदूरी कराने का शिकायत नहीं किया। जहॉ रहता है उसे चौक पर मेरे गॉव के कई लोगों का दुकान है लेकिन उन लोगों से मुलाकात नहीं होती थी। मेरे घर के लोग बाजार आते है। ''

इस साक्षी ने आगे अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि '' श्यामनारायण के आवास के पास दुकान है तथा मकान में भी दुकान है तथा दुकानदारों से मेरी दुश्मनी नहीं है। अगल–बगल के लोग मुझे मजदूरी करते देखते थे। धनकौल चौक पर पिपराही थाना की पुलिस आती आती–जाती रहती है। मैनें किसी से श्यामनारायण या उनकी पत्नी की शिकायत नहीं किया। सीढ़ी से पानी लेकर ऊपर चढ़ रहा था जिस क्रम में मुझे करंट लगा। ''

इस साक्षी ने आगे अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि '' धनकौल सीतामढ़ी से उत्तर तरफ भी एक सड़क निकली है। उस चौक से एक प्लॉट बाद उत्तर तरफ वाली सड़क से सटे श्यामनारायण का प्लॉट है सड़क से सटे पूरब तरफ से बिजली का तार गया हुआ है। सड़क के साथ तार से सटे एक मंजिल है तथा ऊपर वाली मंजिल एवं पहली मंजिल से एक मीटर के बाद शुरू होती है। एक मंजिल वाले मकान से दो मंजिला वाला मकान पूरब तरफ है। सीढ़ी दूसरी मंजिल पर लगी थी। मैं एक हाथ से बॉल्टी तथा दूसरे से सीढ़ी पकड़कर चढ़ रहा था। मेरा मुॅह पूरब तरफ था। बिजली का तार मेरे पीछे से गुजरा था। मेरे गर्दन पीठ में करंट नहीं लगा। मैं कंरेट लगने के बाद पहली मंजिल वाले छत पर गिरा तथा गिरने से फूट गया था एवं करंट लगने से दूसरे दिन मुझे होश हुआ। होश अस्पतॉल में आया इसलिए थाना नहीं जा सकता।''

इस साक्षी ने आगे अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि '' मेरी मेडिकल परिक्षण 22.02.12 को शुरू होनी थी तथा प्रवेश पत्र मिला चुका था। जिस दिन घटना हुई उसी दिन दो घंटा पहले प्रवेश पत्र लाया था। मेरे साथ अन्य विद्यार्थी पहले ही प्रवेशपत्र ला चुके थे। समाहर्त्ता साहब को दिए आवेदन को पढ़ा था। उस आवेदन में छत ढलाई की बात लिखा था। ''

04.06.26

इस साक्षी ने आगे अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि '' राजू कुमारी साक्षी मेरा कोई नहीं लगता तथा केवल सहपाठी है तथा मेरे गॉव का है तथा स्वजातीय है। राजीव कुमार रिश्ता में कोई नहीं लगता है। जयराम कुमार साक्षी मेरे चाचा का लड़का है। रामाश्रय महतो साक्षी मेरे चाचा लगते हैं। मुकेश सहपाठी है तथा कुछ नहीं लगता तथा जात का स्वजातीय है। समुन्द्री देवी का मेरा रामनगर गांव में है। जयप्रकाश मौर्या

राजू का बहनोई है। जिनिश महतो मेरे मामा लगते हैं। "

इस साक्षी ने आगे अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि " परिवाद पत्र तथा शपथपत्र पर बयान में कहा था कि राजू, जयराम, मुकेश मेरे साथ हॉस्टल में रहकर पढ़ता था। ऐसी बात नहीं है कि परिवाद पत्र तथा शपथ पत्र में नहीं कहा था कि श्यामनारायण खाना बनवाते थे तथा घटना के दिन श्यामनारायण बोले कि छत पर पानी पटाओ तो हमलोग बोले कि ग्यारह हजार का बिजली का करंट है हमलोग मर सकते हैं तथा मैं, राजू, जयराम, रमेश पानी पटा रहे थे तथा इसकी मंजिल पर बांस की सीढ़ी दो ऊपरी मंजिल पर पानी ले जा रहे थे तो ग्यारह हजार बोल्ट का तार खींच लिया। ऐसी बात नहीं है कि बयान के कहा था कि एस.के.एम.सी.एच. में ईलाज हुआ जहॉ मेरा दोनों हाथ काट दिया गया।"

इस साक्षी ने आगे अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि " मेरे इलाज में श्यामनारायण कोई खर्च नहीं किए थे। ऐसी बात नहीं है कि लोगों के कहने पर श्यामनारायण ने खर्च किया। ऐसी बात नहीं है इसी कारण केस नहीं किय। श्यामनारायण के परिवार में कुल छः सदस्य है जिनमें दो बेटा तथा दो बेटी है। सबसे छोटा बेटा पॉच–छः साल का है। उनका दोनों बेटा तथा बेटी दिल्ली में रहकर पढ़ते थे। श्यामनारायण की पत्नी घर पर रहती थी तथा दिल्ली भी जाती थी। ऐसी बात नहीं हे कि श्यामनारायण की पत्नी उस समय दिल्ली में थी। मैनें परिवाद पत्र में लिखवाया था कि सीढ़ी पर चढ़ रहे थे। "

इस साक्षी ने आगे अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि " धनकौल चौक पर सैकड़ो दुकान है तथा ~~व्यस्त है~~। इस केस की जॉच लोक अभियोजन शैलेन्द्र कुमार रिपोर्ट दिया गया था। मुझे जानकारी नहीं है। रिपोर्ट में क्या लिखा था। ऐसी बात नहीं है कि उस रिपोर्ट में मेरे आरोप को गलत पाया गया था। डी.एम. जनता दरबार में आवेदन दिया था तो वे बोले कि बिजली विभाग में जाओ।"

इस साक्षी ने आगे अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि " ऐसी बात नहीं है कि जैसा कहा वैसी कोई घटना नहीं हुई तथा ऐसी बात नहीं है कि विवेक मेमोरियल में नहीं पढ़ता था तथा ऐसी बात नहीं है कि अन्य साथियों के साथ श्यामनारायण के घर पर गये तथा छत पर चला गया तथा एडमिट कार्ड के छीनाझपटी में छत के बगल के तार के सम्पर्क में आ गया जिससे मैं जख्मी हो गया। ऐसी बात नहीं है कि श्यामनारायण द्वारा दस लाख देने में असमर्थता व्यक्त किया तो तथ्यहीन आरोप लगाकर यह मुकदमा कर दिया। ऐसी बात नहीं है कि गलत बयान दिया हूँ।"

10. **अभियोजन साक्षी संख्या – 03 तेतरी देवी** ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि " घटना चार साल पहले कि 11:00 बजे दिन का घटना है। मैं अपने घर पर थी।

07.06.26

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम, शिवहर
सत्यमेव जयते

खबर आया मेरा बेटा संतोष कुमार श्यामनारायण सिंह मास्टर के घर पर पानी पटा रहा था तो उसको करंट लग गया। मैं गयी धनकौल चौक श्यामनारायण सिंह के स्कूल में जहॉ बेटा को सीतामढ़ी अस्पतॉल इलाज के लिए ले गये है तथा लोग बोले कि बचने वाला नहीं है। कौशल एवं लाल बाबू मुझको मोटरसाईकिल पर चढ़ा कर सीतामढ़ी ले गये। लड़का को पटना रेफर कर दिया जहॉ उसका 3 माह पी.एम.सी.एच. में इलाज हुआ। जिसमें बिजली के करंट लगने के चलते बेटा का दोनों हाथ काट दिया गया। बेटा मेरा श्यामनारायण सिंह के यहॉ रह कर पढ़ता था। श्यामनाराण सिंह तथा उनकी पत्नी मेरे लड़का से खाना बनवाना एवं लेबर का काम कराती थी। मुदालह को मैं पहचानती हूँ। ''

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि '' राजू कुमार मेरा जाउत लगते है। राजीव कुमार भी जाउत लगते है। जयराम भी जाउत लगते है। रामाश्रय महतो खास देवर है। मुकेश कुमार जाउत लगते है। समुन्द्री देवी दियादनी लगती है। जयप्रकाश मौर्य दामाद लगते है। जीनिस महतो भाई लगते है। मेरे घर से मॉस्टर साहब के यहॉ पैदल जाने में डेढ़ घंटा लगता हे। मेरे गॉव के लोग सब्जी लेने धनकौल बाजार में जोत है। मेरे गॉव के बहुत लोग धनकौल चौक पर दुकान किये है। मास्टर साहब का घर चौक के उत्तर सटा हुआ है चौक से। ''

इस साक्षी ने आगे अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि '' संतोष घटना के 8–10 रोज पहले घर आया था। जब वह घर पर आता था तो बताता था कि मास्टर साहब मजदूरी भी कराते है। मैं अपने बेटा को मास्टर साहब के यहॉ कोचिंग छोड़ने को बोले थे तथा बेटा बोला था कि मॉस्टर साहब कोचिंग छोड़ने नहीं देते है। मास्टर साहब मेरे बेटा को जबरदस्ती ले गये थे। अज्ञानता के कारण इसकी सूचक किसी पुलिस अधिकारी को नहीं दिये। घटना के पहले मैं कहीं कोई सूचना नहीं दिये थे। संतोष से मास्टर मजदूरी करवाते थे पर इसका केश मैं न्यायालय में नहीं किया। संतोष परसौनी हाई स्कूल में पढ़ता था। परसौनी में थाना है। धनकौल चौक पर सड़क उत्तर–दक्षिण है। रोड के पूरब बिजली का तार है। मास्टर सहब का घर तार से हटकर 3–4 हाथ पर है। ''

04.06.26.

इस साक्षी ने आगे अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि '' करंट लगते बेटा को मैं नहीं देखा। बेटा के साथ दुर्घटना कि सूचना किसने दिया मैं नहीं बता सकती। मैं सूचना के बाद बेहोश नहीं हुई जाने के क्रम में रास्ता में बेहोश हो गई। मेरा होश तीन राज बाद पटना में हुआ। मेरा भी इलाज हुआ पटना में। सीतामढ़ी में मेरा इलाज नहीं हुआ। मेरे इलाज का काबज दाखिल है जो नहीं उसे दाखिल कर सकती हूँ।''

इस साक्षी ने आगे अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि '' सीतामढ़ी थाना में

दरोगा ने मेरा बयान नहीं लिया। पटना में दरोगा को मैं तथा बेटा कोई बयान नहीं दिये थे। डॉक्टर साहब को पटना में सब बात बताया गया था। मेरी गवाही आज के पहले कोर्ट में नहीं हुआ। पहली बार मैं आज गवाही दे रही हूँ। संतोष से भेंट करने न मैं न मेरे पति जाते थे। शिवहर थाना में केस करने नहीं गयी थी। "

इस साक्षी ने आगे अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि " ऐसी बात नहीं है कि सीतामढ़ी में दारोगा को बयान दिया था तथा अपने फर्दबयान में कही कि कि संतोष कुमार घर से पढने के लिए गया का और छत पर जाने के क्रम में उसे करंट लग गया तथा इसको मैं छिपा रही हूँ। ऐसी बात नहीं है कि बेटा के लापरवाही के काकरण उसका दुर्घटना हुआ तथा मास्टर से दस लाख रूपया मांगे वह नहीं दिये तब विलम्ब से न्यायालय में केश किये। ऐसी बात नहीं है गलत बयान दिया हूँ। "

11. **अभियोजन साक्षी संख्या – 04 जयराम कुमार** ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि " चार साल पहले का घटना है। मैं घटना के समय आवासीय विवेक मेमोरियाल एकेडमी जो धनकौल चौक पर है जिसे श्यामनारायण सिंह एंव उनकी चलाती है, मैं उसी में था। मेरे साथ राजू, मुकेश, संतोष, राजीव, अजय एवं अन्य लड़के थे। हमलोग पढ़ते थे तथा अपना खाना बनाते थे तथा काम भी करते थे। घटना के रोज श्यामनारायण सिंह का जो छत ढलाया था उसपर पानी पटाने के लिए मुझे, संतोष एवं 2 अन्य लड़का को लगाये थे। पानी पटाने के लिए संतोष उस पर गया तथा हमलोग निचे रहे। पानी पटाने के क्रम में संतोष बिजली के तार से सट गया वह तार छत के पास से गुजरा था। मिस्त्री लोग लकड़ी के तख्ता से संतोष को तार से अलग किये। सीढ़ी के बगल से बिजली तार गया था जो नंगा था। संतोष को करेंट लगने से निचे गिरा तब उसको लाद का सीतामढ़ी सदर अस्पतॉल ले गये थे जहॉ से उसे पटना रेफर डॉक्टर ने कर दिया। इलाज के क्रम में संतोष का दोनों हाथ काटना पड़ा। मुदालह को पहचानता हूँ। "

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि " इस केश में बयान पहली बार हुआ। पुलिस या मजिस्ट्रेट के समक्ष मेरा बयान नहीं हुआ था। सूचक मेरे चाचा का लड़का है। मेरे घर से धनकौल चौक लगभग 01 कि.मी. पर है। सन् 2012 में मैं मैट्रिक पास किया। मैट्रिक की परीक्षा किस तिथि को शुरू हुई मालूम नहीं है। स्कूल से एडमिट कार्ड घटना के एक–दो राज पहले प्राप्त किया था। मैं जनता हाई स्कूल परसौनी में पढ़ता था। मेरे घर से परसौनी लगभग 1 कि.मी. है। मैं अपने स्कूल में क्लॉस करता था कभी–कभी। आवासीय विवेक मेमोरियल में सन् 2011 में गया था तिथि याद नहीं है। संतोष के साथ जब हुआ उसके बाद विवेक मेमोरियल छोड़ दिय। आवासीय विवके मेमोरियाल में पढ़ने का फीस लिया जाता था तथा उसका रसीद मिलता

04.06.26.

था। पढ़ने का कोई कागज विवेक मेमोरियल का दाखिल नहीं कर सकता। 22 फरवरी में मैट्रिक का परीक्षा मेरा था।

इस साक्षी ने आगे अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि " ऐसी बात नहीं है कि आवासीय विवके मेमोरियल नाम का कोई संस्था नहीं थी तथा मैं वहॉ नहीं पढ़ता था जिसके कारण में कोई कागजात उसका दाखिल नहीं कर सकता हूँ। "

इस साक्षी ने आगे अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि " धनकौल चौक से एक सड़क उत्तर जाती है। इस सड़क के पूरब तरफ श्यामनारायण सिंह का मकान तथा मकान के बाद पश्चिम तरफ से बिजली के तार गुजरी है। दूसरे मंजिल पर पानी पटाने कि बात हो रही थी तथा पहली मंजिल का छत खाली था। पहले मंजिल के पूरब तरफ से दो मंजिल पर सीढ़ी था। संतोष एक हाथ से बॉल्टी पकड़े था तथा दूसरे हाथ से सीढ़ी पकड़े था। संतोष को जब देखा उस वक्त उसका हाथ मुँह फूट गया था। करंट संतोष के दोनों हाथ में लगा था। छत पर एक मिस्त्री एवं एक मजदूर काम कर रहे थे। मिस्त्री का नाम सुखाड़ी था जो मेरा ग्रामीण है। धनकौल से शिवहर की दूरी 6 कि.मी. है। शिवहर में सरकारी अस्पतॉल है या नहीं मैं नहीं जानता। जानकारी मुझे नहीं है कि शिवहर जिला का मुख्यालय शिवहर में ही है।"

इस साक्षी ने आगे अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि " धनकौल चौक से सीतामढ़ी 15 कि.मी. है। शिवर से सीतामढ़ी ज्यादा–ज्यादा 20–22 कि.मी. है। टेम्पो से संतोष को ले गये उस टेम्पो का नम्बर नहीं देखे। टेम्पो ड्राईवर कौन था नहीं बता सकता। सदर अस्पतॉल सीतामढ़ी में लगभग 2 घंटा मैं था। पुलिस को सूचना मैं नहीं दिया। अस्पतॉल में भी पुलिस को कोई बयान नहीं दिया। संतोष को जब पटना रेफर कर दिया गया तो मैं अपने गॉव चला आया तथा कोई सूचना पुलिस को नहीं दिया।"

इस साक्षी ने आगे अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि " ऐसी बात नहीं है कि संतोष के साथ कोई घटना नहीं घटी तथा संतोष का चचेरा भाई होने के कारण मैनें झूठी गवाही दिया है।"

09.06.26

12. **अभियोजन साक्षी संख्या – 05 दीपलाल महतो** ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि " संतोष मेरा बेटा है। वह श्यामनारायण सिंह के कोचिंग में धनकौल पढ़ता था। घटना साढ़े चार साल पहले का साढ़े ग्यारह बजे दिन का है उस समय मैं घर पर था। सूचना मिला कि बेटा श्यामनारायण सिंह के दत पर पानी पटा रहा था तो उसको बिजली का करेंट लग गया। मैं गया कोचिंग में पता चला कि लड़का सब उसको सीतामढ़ी ले गया, मैं फिर सीमाढ़ी अस्पतॉल में गया जहॉ से डॉक्टर बेटा को पटना रेफर कर दिया। पटना पी.एम.सी.एच. में संतोष को ले गये जहॉ तीन माह ईलाज चला तथा बॉह को काट दिया गया उसका जान बचाने के लिए। हाथ सड़ जाने के कारण

काटना पड़ा। संतोष का मैट्रिक परीक्षा था तथा श्यामनारायण एवं उसकी पत्नी पानी पटाने को कहते थे। आज न्यायालय में श्यामनारायण सिंह की पत्नी आई है। सभी मुदालह को पहचानता हूँ।''

इस साक्षी ने आगे अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि '' मेरा बेटा परसौनी हाईस्कूल में पढ़ता था तथा वहीं से परीक्षा देना था। परसौनी हाई स्कूल में श्यामनारायण या उनकी पत्नी मास्टर नहीं है। इस केश में पहली बार गवाही दे रहा हूँ। मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ दो बार मेरा बयान हुआ था।''

इस साक्षी ने आगे अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि '' ऐसी बात नहीं है कि मजिस्ट्रेट के पास मेरा कोई बयान नहीं हुआ तथा मैं झूठ बोल रहा हूँ। ''

इस साक्षी ने आगे अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि '' जब मैं सीतामढ़ी गया तब संतोष बेहोश था मेरी बात नहीं हुई। उसका इलाज एस.के.एम.सी.एच. मुजफ्फरपुर में नहीं हुआ था। पी.एम.सी.एच. पटना में बेटा को दो–तीन रोज बाद होश हुआ। वहाँ बेटा से मालूम हुआ कि करंट कैसा लगा। पी.एम.सी.एच. के पुलिस पोस्ट में मैं या पत्नी या लड़का कोई केश नहीं किया। पी.एम.सी.एच. में तीन माह तक मैं था। पटना में इस बीच किसी ने कोई केस नहीं किया। पटना से घर आने पर श्यामनारायण सिंह से रूपया का मांग नहीं किये थे। पिपराही थाना में केस मैं नहीं किया। घटना के तीन माह के बाद डुमरा में केश किये। ''

इस साक्षी ने आगे अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि '' मेरा बेटा जनता हाईस्कूल परसौनी में पहले पढ़ता था। घटना के समय भी उसी स्कूल में पढ़ता था। श्यामनारायण सिंह के कोचिंग में मेरा लड़का कब से कब तक पढ़ा ख्याल नहीं है। कोचिंग में पढ़ने का कागज दाखिल कर सकता हूँ। ''

इस साक्षी ने आगे अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि '' ऐसी बात नहीं है कि मेरा लड़का श्यामनारायण सिंह के कोचिंग में नहीं पढ़ता था तथा मैं कोई इसका कागज दाखिल नहीं कर सकता हूँ।''

09.06.26

इस साक्षी ने आगे अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि '' धनकौल चौक मेरे घर से एक माइल दक्षिण में है। मैं वहाँ साग–सब्जी खरीदने जाता हूँ। मेरा बेटा हफ्ता दो हफ्ता पर जाता था। धनकौल बाजार जब मैं जाता था तो बेटा से मुलाकात एवं बातचीत होती थी तथा वह सब ठीक है कहता था। मुझे किसने सूचना दिया कि श्यामनारायण के छत पर बेटा को पानी पटाने के क्रम में करंट लग गया। मैं संतोष को पानी पटाते या करंट लगते नहीं देखा है। परसौनी हाई स्कूल से मैट्रिक का परीक्षा बेटा दे रहा था वह प्रवेश–पत्र लेकर आया था तथा प्रवेश–पत्र दिखाने गया था सत्यनारायण के कोचिंग में बच्चों को तथा उसी क्रम में दुर्घटना हो गया। सत्यनारायण रूपया नहीं

दिया पॉच लाख तो केश हुआ। ''

इस साक्षी ने आगे अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि '' ऐसी बात नहीं है कि जैसा मैनें कहा वैसी कोई घटना नहीं घटी है तथा मेरा बयान झूठा है। ''

13. **अभियोजन साक्षी संख्या – 06 जयप्रकाश मौर्य** ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि '' चार साल आठ माह पहले की घटना साढ़े ग्यारह बजे दिन की है। मैं अपने घर पर था। मेरा साला राजू श्यामनारयण सिंह के हॉस्टल में रह कर पढ़ता था। मैं साला राजू कूमार को फोन किया हाल–चाल के लिए तो वह बताया कि संतोष को करेन्ट लग गया है श्यामनारायण सिंह के छत पर जब वह पानी पटा रहा था। श्यामनारायण सिंह के घर के सटे 11 हजार का करेन्ट का लाइन गया है। मैं सदर अस्पतॉल सीतामढ़ी बारह बजे पहुॅचा सूचना पर तो देख कि संतोष का दोनों हाथ जल गया था चिल्ला रहा था। डॉक्टर ने संतोष को पटना रेफर कर दिया। हमलोग एम्बुलेंस से लेकर पी.एम.सी.एच. पटना गये जहॉ ढाई से तीन माह तक इलाज हुआ। डॉक्टर ने संतोष का दोनों बॉह काट दिया क्योंकि वह जल चुका था। मुदालह को पहचानता हूॅं।''

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि '' राजू के नंबर पर फोन किया था उसका नंबर याद नहीं है। घटना के एक साल पहले से राजू के पास मोबाईल था। मेरे शादी के समय राजू आठवॉ में पढ़ता था। घटना के एक साल पहले मेरा शादी हुआ। राजू एवं मेरी पत्नी मोबाईल ससुर वाला रखती थी। ससुर वाला मोबाईल नंबर याद नहीं है। ''

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि '' 9097453593 मेरे मोबाईल का नंबर था। जिससे मैं बात किया। दस साल से ज्यादा पले से यह नंबर मेरे पास था। इसका सीम मेरे नाम से नहीं था। कागज सीम का न्यायालय में दाखिल नहीं किया क्योंकि दुकानदार नहीं देगा। सीम दाखिल कर सकता हूॅं। ''

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि '' सीतामढ़ी अस्पतॉल पहुॅचेन पर वहॉ थाना में केश नहीं किया गया था। जख्मी बेहोश था, बोल रहा था। मैं एम्बुलेंस बुला कर लाया था उसका नंबर नहीं कह सकता रसीद होगा। सीतामढ़ी अस्पतॉल से पटना पी.एम.सी.एच. में गए थे। पी.एम.सी.एच. में दो दिन रहे थे। इस दौरान मैं जख्मी के पास नहीं था नहीं कह सकता कि जख्मी बेहोश था या होश में था। इस दो दिन में पटना पुलिस अस्पतॉल में आई या नहीं मुझे जानकारी नहीं है। पटना पुलिस को मैनें सूचना नहीं दिया था। जख्मी दिए होगे मैं नहीं जानता।''

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि '' जॉच के क्रम में मेरा बयान था कि मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं हुआ था। मुझे धनकौल जाने का मौका मिलता हैं धनकौल से करीब तीन कि.मी. पर थाना है। धनकौल बाजार में मेरे गॉव के एक आदमी

07.06.26.

का दुकान है। धनकौल बाजार से मेरा ससुराल दो–तीन कि.मी. पर है। मुझे इस केश में साक्ष्य देने के लिए संतोष बुला कर लाया है। संतोष गॉव का साला लगता है। यह कहना गलत है कि संतोष का रिश्तेदार होने से

झूठी गवाही दिया है पर ऐसी घटना नहीं घटी है।

14. अभियोजन की ओर से अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

15. बचाव पक्ष की ओर से प्रखंड विकास पदाधिकारी, परसौनी का जॉच प्रतिवेदन को प्रदर्श–1 अंकित कराया गया।

16. अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजक का कथन है कि अभियोजन के ओर से प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने में अभियोजन पक्ष पूर्णतः सफल रहा है। अतः उन्हें विधितः दंडित किया जा सकता है।

19. प्रतिरक्षा पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य में गहन अंर्तविरोध है यदि एक साक्षी के साक्ष्य पर विश्वास किया जाये तो दूसरे साक्षी का कथन स्वतः संदेहास्पद प्रतीत होने लगता है। सूचक के कथन से भी लगाये गये आरोप की पुष्टि नहीं होती है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त करने की कृपा करे।

20. उपयपक्षों का बहस सुना, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों एवं अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि उपरोक्त नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा– 308, 326 एवं 374 के अंतर्गत आरोप का गठन किया गया, जिससे साबित करने हेतु अभियोजन द्वारा कुल छः साक्षियों को परीक्षित कराया गया है।

21. सभी साक्षियों के साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस वाद का सूचक संतोष कुमार इस वाद के अभियुक्त श्यामनारायण सिंह के कोंचिंग में पढ़ने जाया करता था और कोचिंग का कुछ काम भी कर लिया करता था। कोचिंग में घटना तिथि वो समय को काम करते समय सूचक संतोष कुमार समय अचानक बिजली के तार के चपेट में आ गया और सूचक संतोष कुमार जख्मी हो गया और ईलाज के दौरान सूचक संतोष कुमार का दोनों हाथ डॉक्टर के द्वारा काटना पड़ा। वाद हूँ सूचक संतोष कुमार के द्वारा उपरोक्त घटना के क्षतिपूर्ति हेतु जिलाधिकारी, शिवहर अनुमंडल पदाधिकारी, शिवहर तथा बिजली विभाग में बहुत प्रयास किया गया लेकिन सूचक संतोष कुमार को क्षतिपूर्ति नहीं मिला। जब सूचक संतोष कुमार को क्षतिपूर्ति नहीं मिला तो उन्होंनें कोचिंग के संचालक अभियुक्त श्यामनारायण सिंह एवं उनकी पत्नी अभियुक्त रूपसागर देवी पर

अंदर दफा 308, 326 एवं 374 भा0द0वि0 के अंतर्गत केस किया लेकिन गवाहों की गवाही एंव अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया है जिससे कि अंदर दफा 308,326 एवं 374 भा0द0वि0 के अंतर्गत अपराध साबित हो सकें।

आदेश

22. उपरोक्त नामित अभियुक्तगण 1. श्यामनारायण सिंह एवं 2. रूपसागर देवी को भा0द0वि0 की धारा– 308, 326 एवं 374 के पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में सन्देह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है एवं उन्हें उनके बंध–पत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

लेखापित, शुद्ध एवं संशोधित

Mahesh Kumar

(महेश कुमार)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
शिवहर।
04.06.2026

Mahesh Kumar

(महेश कुमार)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
शिवहर।
04.06.2026